POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 02 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत सीधे, सच्चे और ईमानदार हैं? वह शर्मिन्दा भी बहुत जल्दी होते हैं। उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार, लोकपाल, विदेशों में जमा काला धन और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता, लाचारी और शर्मीन्दगी जाहिर की है।

इस बार उन्होंने देश में बच्चों के कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म की बात बताई और इस पर चिंता भी जताई। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से हम भारत की ऊंची विकास दर की बात दोहराते नहीं थक रहे, इसके बावजूद यह हालात क्यों बने हुए है?

कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर अपनी सुन्दरता को देख कर फूला नहीं समाता। लेकिन उसकी नजर जब खुद के पैरों पर पड़ती है, तो बरबस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही हाल हमारे राष्ट्र का हो रहा है। देश के 16 करोड़ नौनिहालों में से 42 फीसदी कुपोषण के शिकार हैं।

देश के कई हिस्सों में एवं खासतौर से दलित वर्ग के बच्चों में कुपोषण की स्थिति 70 फीसदी से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर बच्चे गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर कम उम्र में ही अपनी जान गंवा देते हैं। अन्तरराष्ट्रीय संस्था यूनीसेफ ने इस भयावह सच्चाई को कई बार उजागर भी किया है।

इसके मद्देनजर सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रखे हैं। लेकिन उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं हो रहा। बच्चों को खाने के लिए जो सामग्री दी जाती है, क्या वास्तव में पोषक आहार होता है? यदि होता है, तो क्या उसके वितरण पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? ऐसे में क्या संसद में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल कोई आशा जगा पाएगा? इसी तरह के और भी कई प्रश्न विचारणीय हैं।

सूचनाएं प्राप्त करना आपका अधिकार है

सरकार जो रुपया खर्च करती है वह आपका है। हम सभी विभिन्न करों के रूप में सरकार को यह रुपया आम लोगों के विकास के लिए देते हैं। अपने दिए रुपए का हिसाब मांगना हमारा अधिकार है। सरकार ने खुद इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया है। इस कानून के तहत हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने और सूचना प्राप्त करने का हक है। हमें सूचना के अधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आइये, देखते हैं कि आप अपने गांव की भलाई के लिए क्या-क्या सवाल कर सकते हैं :

पंचायतों पर रखे नजर: पंचायत में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। ग्रामीण योजनाओं की खबर, इन्दिरा आवास योजना, नरेगा सहित अन्य योजनाओं की स्थिति और उनके क्रियान्वयन के बारे में सवाल।

कृषि सब्सिडी तथा सरकारी सेवा: कृषि पर मिलने वाली सब्सिडी और कृषि योजनाओं की स्थिति, फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की स्थिति व कृषि से सम्बन्धित अन्य सवाल। सरकारी सेवा में कर्मचारियों का कैसा है व्यवहार। समय पर कर्मचारियों की मौजूदगी, कहां कितना भ्रष्टाचार। शिकायत पर कार्रवाई और सुनवाई की स्थिति।

शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल: स्कूल में कितने अध्यापक हैं। कितने दिन उपस्थित रहते हैं। कितना पैसा आता है, किस मद में खर्च होता है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स कब आते हैं। कितनी दवाएं मुफ्त दी जा रही है। बजट का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

निर्माण व बिजली पानी की खबर: गांव में हुए नए निर्माण की स्थिति, कितना पैसा स्वीकृत व कितना हुआ खर्च एवं निर्माण की गुणवत्ता व रखरखाव की जानकारी। बिजली कितनी मिलती है, कितनी बिजली चोरी होती है, कौन चोरी करता है, पानी की आपूर्ति व जल प्रदाय योजनाओं के बारे में सवाल।

जयपुर डेयरी इनाम में निकला फ्रिज दे

उपभोक्ता जिला मंच में रामदयाल शर्मा ने जयपुर डेयरी के खिलाफ अपने अधिवक्ता के जरिए परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने मंच को बताया कि जयपुर डेयरी ने 2008 में सरस धूम उपहार योजना चलाई। योजना में प्रार्थी के इनाम में एक 120 लीटर का फ्रिज (वीजी कूलर) निकला। इनाम में निकला फ्रिज लेने जब वह जयपुर डेयरी गया तो उसे आयकर राशि 3,939 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने रुपए जमा करा दिए। इसके बाद भी प्रार्थी को न तो फ्रिज मिला और न ही जयपुर डेयरी ने वसूली गई राशि वापस लौटाई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने जयपुर डेयरी का सेवा दोष मानते हुए आदेश दिया कि वह रामदयाल शर्मा को इनाम में निकले 120 लीटर के फ्रिज (वीजी कूलर) की डिलीवरी दो माह के भीतर दे और साथ ही 18 हजार रुपए का हर्जाना भी अदा करे।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 30 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2011 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैः

'खाद्य सुरक्षा'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2011 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2012 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

कैसे पिलाएं बच्चों को एक गिलास दूध?

देश में दो तिहाई से भी ज्यादा हिस्सों में जहरीला दूध मिल रहा है। इस बात को केन्द्र सरकार ने भी मान लिया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था भारतीय खाद्य संरक्षक व मानक प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है। 28 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में दूध की जांच की गई तो भारी मिलावट पाई गई। सर्वे के अनुसार पूरे देशभर में इस्तेमाल किए जा रहे दूध में से 68.4 प्रतिशत मिलावटी है। यह मिलावट की जांच का अब तक का देश में सबसे बड़ा सर्वे है।

पूरे देश के साथ राजस्थान के गांवों और शहरों में दूध के उपभोक्ताओं में से 76 फीसदी उपभोक्ता मिलावटी दूध पीते हैं। यहां तक कि आठ फीसदी दूध में यूरिया, साबुन, डिटरजेंट, सोड़ा और जहरीले पदार्थ मिले हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में सरकार को सुझाया गया है कि मिलावट को हत्या के प्रयास के बराबर अपराध करार दिया जाना चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों के लिए फण्ड

जयपुर में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी अन्य देशों में जा बसे भारतीयों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है, हमने हमारी अर्थव्यवस्था पर मजबूती से गिरफ्त बनाए रखी है।

इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए घोषणा की है कि केन्द्र सरकार जल्दी ही देश के महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देने के मकसद से 500 करोड़ रुपए का एक कॉरपस फण्ड बनाएगी। इस फण्ड से समूह की महिलाओं को अपने स्वयं के रोजगार विकसित करने के लिए सहायता दी जाएगी।

वितरण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता

केन्द्र सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है। इससे भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन विक्रेता की दुकान तक सारे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।

यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.वी. थॉमस ने देते हुए बताया कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है। राशन के जरिए कई उत्पाद बेचे जाएंगे और उनकी कीमतें भी कम होंगी।

उपभोक्ता संरक्षक कानून में संशोधन

उपभोक्ता संरक्षण कानून को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से केन्द्र सरकार का कानून में कुछ संशोधन करने का मानस है। वह न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर 500 रुपए या कुल राशि की 1.50 फीसदी शास्ति संबधित संशोधन लाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता संशोधन विधेयक 2011 में प्रस्तावित कई संशोधनों में शास्ति संबधित यह संशोधन भी शामिल है।

इसके माध्यम से जानबूझकर कानून की अवहेलना करने वाले लोग सावधान हो जाएंगे। अब अधिकांश उपभोक्ता संरक्षण मंच कम्प्यूटराइज हो चुके हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ता ई-गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक अन्य संशोधन के जरिए जिला अथवा राज्य व राष्ट्रीय फोरम का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह होगा।

राज्य में खुले हैं 45 ग्राम न्यायालय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम आदमी को सस्ता सुलभ और समय पर न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। ग्राम न्यायालय और मिडिएशन कोर्ट इसके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। सरकार ने पिछले एक साल में 45 ग्राम न्यायालय खोल दिए हैं। इन न्यायालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अब तक 567 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा सुशासन में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार ने प्रदेश में लोक सेवाओं की गारंटी कानून लागू किया है। जिससे आम जन के काम एक तय समय में हो सकेंगे। जल्द ही सरकारी कामों में पारदर्शिता कानून और सुनवाई का अधिकार कानून भी लाया जाएगा।

देश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषित

हमारे देश में 16 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 42 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका खुलासा हाल ही नांदी फांउडेशन और सिटीजन्स एलायंस अगेंस्ट मेलन्यूट्रिशन द्वारा किए गए 'हंगामा' (भूख और कुपोषण) नामक एक सर्वे रिपोर्ट से हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया है।

उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद कुपोषित बच्चों के साथ स्वस्थ भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सर्वे रिपोर्ट में पिछले सात सालों में कुपोषण में आई गिरावट को भी बताया गया है।

भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लें

आजादी के समय एक आदर्श राष्ट्र की सोच बनी थी, लेकिन आज घोटालों पर घोटाले होना आम बात बन गई है। अब चरित्र की बात गौण हो गई है। सरकार अपने वोटों के लालच और सत्ता पर काबिज रहने के लिए अनेक तरीके अपनाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट चाहे देश को विश्व के दस भ्रष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में रखे या इससे भी ज्यादा भ्रष्ट राष्ट्र की श्रेणी में रखे, राजनेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि सरकार और जनता एक साथ भ्रष्टाचार को सच्चे दिल से मिटाने का संकल्प ले, तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जा सकता है।

अंकिता श्रीवास्तव, अजमेर

सहकारी क्षेत्र से बंटेगी उपभोक्ता सामग्री

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांवों में उपभोक्ता सामग्री का वितरण का जिम्मा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सौंपा जाएगा। इससे वितरण व्यवस्था प्रभावी व मजबूत होगी। यह समितियां राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता सामग्री भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का भी निर्णय लिया है।

वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर प्रदेश में 5,400 से भी ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही है। नई समितियों के गठन के लिए मानदण्डों को आसान बनाया गया है। अब पांच लाख रुपए की हिस्सा राशि पर ग्राम सेवा समिति का गठन किया जा सकता है।

1200 करोड़ का दाल घोटाला

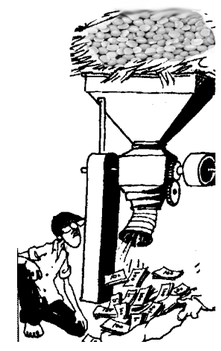

देश में दालों की कमी दूर करने के लिए विदेश से दालों का आयात मिलीभगत का खेल नजर आ रहा है। जरूरत नहीं होने पर भी पीली मटर दाल के आयात पर भी प्रश्न वाचक चिन्ह लगा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस खेल में करीब 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का पता लगाया है।

संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी एजेंसियों-एमएमटीसी, एसटीसी, नेफेड तथा पीईसी ने करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दालों के आयात का मकसद आम आदमी को सस्ती दरों पर सुलभ कराने का था। लेकिन इसका ज्यादातर लाभ निजी कारोबारियों को मिला। चार निजी कारोबारियों को 6.08 लाख मीट्रिक टन दालें बेच दी गई।

सरपंच देंगे योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा है कि सरकार की ज्यादातर लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचती। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री ने अब नया तरीका निकाला है।

अब सरपंचो और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की वास्तविक स्थिति और उन पर हो रहे अमल व उनसे लोगों को मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी फोन पर ली जा रही है। इस काम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक दर्जन से भी ज्यादा अफसर और कर्मचारी लगाए गए हैं। वे रोजाना फोन कर पंचायत स्तर से इस बारे में पूरी जानकारी (फीड बैक) जुटा कर मुख्यमंत्री को दे रहे हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485